मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/ 1110 /734303/2022/38-2 भोपाल दिनांक 02 /08/2022

प्रति,

1. समस्त कुलसचिव
   शासकीय/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा, म0प्र0।
3. समस्त प्राचार्य,
   शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म0प्र0।

विषय:-दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पौधरोपण महा-अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश।

------0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत पर्यावरण विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 2289/ईपीसीओ/2022 दिनांक 20/07/2022 की छायाप्रति मय सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पौधरोपण महा-अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

2-8-22
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक/ 1111 /734303/2022/38-2 भोपाल दिनांक 02 /08/2022

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2-8-22
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

K= 162134 ।
26-7-22

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/7/22

क्रमांक 2289/EPCO/22

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पौधारोपण महा-अभियान के संबंध में दिशा- निर्देश ।

राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम अन्तर्गत शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से हरियाली अमावस्या दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाअभियान आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। महाअभियान के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

कृपया तदानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(श्रीमन् शुक्ला)
अपर सचिव, पर्यावरण विभाग
एवं कार्यपालन संचालक, एप्को

भोपाल, दिनांक 20/7/22

पृष्ठां. क्रमांक 2290/EPCO/22

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन (समस्त विभाग)
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी.एस.ई.डी.सी, भोपाल ।
7. कार्यपालन संचालक, म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल, मध्यप्रदेश ।

20/07/22
अपर सचिव, पर्यावरण विभाग
एवं कार्यपालन संचालक, एप्को

22 JUL 2022
OSD (A.14)
निर्देश जारि करें।
25/07

अंकुर कार्यक्रम

प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाअभियान के दिशा-निर्देश

(दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022)

पौधारोपण को जन आन्दोलन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को जन भागीदारी से एक महाअभियान का रूप दिया जाना है। इस अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि नागरिकों, समुदायों, शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से **हरियाली अमावस्या, दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022** तक अधिकाधिक संख्या में पौधों के रोपण हेतु प्रदेश व्यापी महाअभियान चलाया जाए। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार होगी :-

1. अभियान के सफल संचालन हेतु पूर्व महाअभियान की तर्ज पर जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसमें सभी Stake holders को सम्मिलित किया जावे। समिति दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के पौधारोपण अभियान का सतत समन्वय, अनुश्रवण एवं मॉनिटरिंग करते हुए तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करेगी तथा अंकुर कार्यक्रम की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करेगी।
2. जिला स्तर पर महाअभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये।
3. प्रदेश स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के भवनों/सार्वजनिक उपक्रमों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/निगम, मंडलों के कार्यालयों के प्रांगण में उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज, आंगनवाडी, छात्रावास, पंचायत इत्यादि के परिसरों में भी पौधारोपण किया जा सकता है। उपलब्ध अन्य शासकीय एवं वन भूमियों पर भी पौधारोपण किया जा सकेगा।
4. जिलों के अशासकीय संगठन, समुदाय आधारित संगठनों एवं निजी संगठनों को इस अभियान में जोड़ते हुए उनके परिसरों एवं अन्य योग्य स्थलों पर पौधारोपण का कार्य किया जा सकता है।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

5. पौधों की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति/संस्था के द्वारा स्वयं की जावेगी। वन/उद्यानिकी/कृषि विभाग की नर्सरी में उपलब्ध पौधों का उपयोग प्रचलित नियमानुसार किया जावेगा। रोपित पौधों की सुरक्षा, सिंचाई एवं देखभाल की जिम्मेदारी पौधारोपण करने वाले व्यक्ति/संगठन/शासकीय संस्था की होगी।

6. इस अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पौधारोपण का पंजीयन अंकुर कार्यक्रम के "वायुदुत-अंकुर" एप पर किया जावे तथा प्रत्येक रोपित पौधो की फोटो वायुदूत एप पर अपलोड की जावे।

7. "वायुदूत-अंकुर" एप गुगल प्ले स्टोर अथवा एपल स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है।

8. प्रतिभागियों द्वारा पौधारोपण के 30 दिन पश्चात "वायुदूत-अंकुर" एप पर रोपित पौधे की द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रमाण पत्र एप से डाउनलोड किया जा सकेगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग